रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 19, 2019/माघ 30, 1940
No. 69]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 19, 2019/MAGHA 30, 1940

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2019

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019

सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8.— पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (छ), (ज) तथा (झ) के साथ पठित उसकी उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत, -

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (पांचवा संशोधन) विनियम, 2019 है।
2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 में:-

(I) विनियम 4 के उप-विनियम (क) के प्रावधान (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

(i) जहां अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को जारी रखना चाहता है और साठ साल की आयु या सेवानिवृत्ति की आयु, जैसा भी मामला हो, के बाद भी अपनी सेवानिवृत्ति के खाते में योगदान करना चाहता है, तो लिखित रूप में या निर्धारित फॉर्म जो निर्दिष्ट है, व्यक्तिगत खाते में निर्धारित आयु तक योगदान करना चाहता है, का विकल्प देना होगा लेकिन व्यक्तिगत पेंशन खाते में योगदान सत्तर वर्ष की उम्र से अधिक नहीं किया जा सकता। ऐसे विकल्प का उपयोग साठ वर्ष की उम्र या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से कम से कम पन्द्रह दिन पहले किया जाएगा, जो कि

केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को बतायेगा।

परन्तु इसके अतिरिक्त, अभिदाता जिसका नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध नहीं है तथा 60 वर्ष की आयु के बाद भी योजना में बने रहने के विकल्प का प्रयोग, यदि पंद्रह दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर, जैसा निर्धारित है, उसके द्वारा नहीं किया जाता, तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में तब तक जारी रहेगा जब तक कि वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है और यह माना जाएगा कि ऐसे अभिदाता ने इस विकल्प का प्रयोग किया है और उसके द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

परन्तु इसके अतिरिक्त, अभिदाता जिसका कर्मचारी-नियोक्ता सम्बन्ध है और जिसने पंद्रह दिनों की निर्धारित समयसीमा के भीतर, विकल्प का प्रयोग नहीं किया लेकिन जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत, साठ साल या सेवानिवृत्ति की आयु, जैसा भी मामला हो, के बाद भी अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहता है तथा अनुमति की सीमा तक, एनपीएस न्यास को ऐसे विलम्ब के कारणों को बताते हुए लिखित में आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का प्राधिकृत अधिकारी, अभिदाता द्वारा ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर एवं उसके द्वारा दर्शाए गए कारण या अन्य किसी प्रासंगिक मामले के सन्दर्भ में, उपयुक्त लगने पर, विलम्ब यदि कोई हो तो, माफ़ कर सकता है।

इस तरह के विकल्प के प्रयोग या स्वचालित निरंतरता के बावजूद, अभिदाता राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से किसी भी समय केन्द्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास न्यास या प्राधिकरण द्वारा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य मध्यवत या इकाई को अनुरोध प्रस्तुत कर के निकल सकते हैं। ऐसे अभिदाता को, एकमुश्त राशि के साथ-साथ वार्षिकी को स्थगित करने के अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे।

हेमंत जी.कांट्रेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./545/18]

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 11 मई 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 10 अगस्त 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 / आरजीएल /139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र में 6 अक्टूबर 2017 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 02 फरवरी 2018 को, सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
5. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और प्रत्याहरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 18 मई 2018 को सं. पीएफआरडीए/12 /आरजीएल/139/8 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2019

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EXITS AND WITHDRAWALS UNDER THE NATIONAL PENSION SYSTEM) (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. PFRDA/12/RGL/139/8.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with sub-clause(g), (h), and (i) of sub-section 2 of Section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act No.23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015 namely, -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) (Fifth Amendment) Regulations, 2019.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals under the National Pension System) Regulations, 2015: -

(I) In regulations 4, proviso (i) to sub-regulation (a) of Regulation 4 shall be substituted as follows:

(i) Where the subscriber desires to continue in the National Pension System and contributes to his retirement account beyond the age of sixty years, or the age of superannuation, as the case may be, he or she shall have the option to do so by giving in writing or in such form as may be specified of the age not exceeding seventy years up to which he would like to contribute to his individual pension account. Such option shall be exercised at least fifteen days prior to attaining the age of sixty years or age of superannuation, as the case may be, to the Central Recordkeeping Agency or the National Pension System Trust or any other intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose.

Provided further that a subscriber not having any employee-employer relationship and after attaining the age of 60 years not having exercised the option to continue within the period of fifteen days, so stipulated, shall continue in the National Pension System till he attains the age of seventy years as if he has exercised the option and shall be considered as if the consent has been provided by such subscriber.

Provided further that such subscriber having any employee-employer relationship and who has not exercised the option within the period of fifteen days, so stipulated, but desires to continue with his individual pension account under National Pension System, beyond the age of sixty years or the age of superannuation, as the case may be, and to the extent so permitted, may do so by making an application in writing with reasons for such delay to the National Pension System Trust .The authorized officer of the National Pension Trust may condone such delay, if any, in exercise of such option by the subscriber, as he may deem fit, having regard to the cause so shown or on any other relevant matter.

Notwithstanding exercise of such option or automatic continuation, the subscriber may exit at any point of time from the National Pension System, by submitting a request to National Pension System Trust or any intermediary or entity authorized by the Authority for the purpose. The options of deferment of lump sum as well as annuity shall not be available to such a subscriber.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./545/18]

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 11th May, 2015 vide No. PFRDA/12/ RGL/139/8.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (First Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 10th August 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Second Amendment) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India on 06th October 2017 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8
4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Third Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 02nd February 2018 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.
5. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exits and Withdrawals Under the National Pension System) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 18th May 2018 vide No. PFRDA/12/RGL/139/8.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.02.20 21:41:50 +05'30'